संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

भाग – एक

विभागीय ढाँचा

मध्यप्रदेश में विभाग की प्रशासनिक एवं तकनीकी गतिविधियों के संचालन के लिये राज्य स्तर पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय स्थापित है, जिसके प्रमुख – संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास हैं। राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ किया गया है, जिसे शासन द्वारा ''स्वशासी'' संस्था घोषित किया गया है। संभाग स्तर पर 10 संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय कार्यरत हैं, जिनके प्रमुख संयुक्त संचालक हैं। जिला स्तर पर 50 उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय स्थापित हैं जिनके प्रमुख उप संचालक हैं। 19 कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जिनमें 14 केन्द्रों पर उप संचालक कृषि तथा 5 केन्द्रों पर सहायक संचालक कृषि, प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं। कृषि क्षेत्र विस्तार हेतु 100 अनुविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय, 81 सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उप संभाग कार्यरत है। मिट्टी परीक्षण हेतु 15 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा 8 सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी कार्यालय हैं, 4 उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं, 1 बीज परीक्षण प्रयोगशाला तथा 1 कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला कार्यरत है। 5 सहायक संचालक कृषि (गन्ना) कार्यालय, 42 शासकीय प्रक्षेत्र हैं। जिनमें 5 प्रक्षेत्रों पर सहायक संचालक कृषि एवं 37 प्रक्षेत्रों पर व.कृ.वि.अ. प्रक्षेत्र अधीक्षक के रूप में कार्यरत है। 313 विकास खंडों पर व.कृ.वि.अ. के कार्यालय कार्यरत हैं।

विभाग में 115 प्रथम श्रेणी अधिकारी, 646 द्वितीय श्रेणी अधिकारी, 10044 तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक), 1926 तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय, 1532 चतुर्थ श्रेणी एवं कार्यभारित के 170 पद स्वीकृत हैं।

विभाग के दायित्व

विभाग की विभिन्न इकाईयों का प्रमुख दायित्व प्रदेश में कृषि फसलों के उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि, बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि, नवीनतम कृषि तकनीकी का विकास तथा खेतों तक इस तकनीकी को पहुंचाकर कृषकों को अपनाने के लिये प्रेरित करना, भूमि एवं जल प्रबंध, लघु सिंचाई कार्यक्रमों का विस्तार करना है। सभी संबंधित विभागों एवं संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित कर विभाग प्रदेश में कृषि विकास की गतिविधियाँ संचालित कर रहा है। उन्नत कृषि उपकरणों तथा प्रमाणित उन्नत बीजों का उपयोग बढ़ाने के साथ–साथ अन्य आदान सामग्री की उपलब्धता सुचारू रखने का दायित्व भी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का है।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का पालन प्रतिवेदन

बजट सत्र 2009–10 में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के किसी बिन्दु का पालन प्रतिवेदन लम्बित नहीं है।

संसदीय, विधि एवं न्यायालयीन कार्य

विधान सभा के कुल 51 आश्वासनों में से 23 की पूर्ति की गई, 28 शेष हैं। 275 विधान सभा प्रश्नों में से 4 प्रश्नों की जानकारी अपूर्ण रही, जिनमें से 3 के उत्तर बाद में प्रस्तुत किये गए। 1 प्रश्नों के उत्तर भेजे जाना प्रक्रियाधीन है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय से संबंधित 5 शून्य काल सूचनाएं विभाग में प्राप्त हुई, जिनका उत्तर दिया गया।

माननीय न्यायालय में लंबित विविध/जनहित याचिकाओं की जानकारी विवरण

(30 दिसंबर 2009 तक)

स. क.	कुल प्रकरणों की संख्या	प्रकरण जिनमें प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है	प्रकरण जिनमें प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाना है	अभी तक प्रभारी अधिकारी नियुक्त न होने का कारण	प्रकरण जिनमें माननीय न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है	प्रकरण जिनमें जवाबदावा प्रस्तुत किया जाना शेष है
1	299	296	03	प्रकियाधीन	267	29

विभागीय पदोन्नतियां, जांच, नियुक्तियां तथा स्थानान्तरण

पदोन्नतियां : वर्ष 2009–10 में संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास में 312 अधिकारियों / कर्मचारियों की पदोन्नति की गई। इनमें प्रथम श्रेणी के 23, द्वितीय श्रेणी के 30, तृतीय श्रेणी के 30 तथा चतुर्थ श्रेणी के 13 अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हैं।

नियुक्तियां: इस वर्ष विभाग में 03 सहायक संचालक कृषि (क्षेत्र एवं विस्तार) तृतीय श्रेणी के 23 अधिकारी/कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई। साथ ही तृतीय श्रेणी के पद पर 16 एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर 35 अनुकंपा नियुक्ति की गई।

स्थानान्तरण एवं निरस्तीकरण : वर्ष 2009–10 के दौरान 176 स्थानान्तरण तथा 9 स्थानांतर निरस्ती आदेश जारी किये गये। इनमें प्रथम श्रेणी के 31, द्वितीय श्रेणी के 25, तृतीय श्रेणी के 114 तथा चतुर्थ श्रेणी के 06 स्थानान्तरण किये गये हैं। प्रथम श्रेणी 02, तृतीय श्रेणी के 04 एवं चतुर्थ के 03 स्थानान्तरण निरस्त किये गये।

विभागीय जांच : माह दिसम्बर 2008 की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल 328 विभागीय जांच के प्रकरण लंबित थे। इनमें लघु शास्ति के 102 एवं दीर्घ शास्ति 226 प्रकरण हैं।

1–1–2009 से 31–12–2009 तक दीर्घ शास्ति के 38 एवं लघु शास्ति के 164 नये प्रकरण प्राप्त हुये। दिनांक 31–12–2009 की स्थिति में कुल लंबित प्रकरण 530 थे जिनमें से दिनांक 31–12–2009 तक दीर्घ शास्ति के 31 एवं लघु शास्ति के 47 प्रकरण समाप्त हुये। शेष लघुशास्ति के 219 एवं दीर्घशास्ति के 233 कुल 452 प्रकरण लंबित है।

भाग –दो

बजट सिंहावलोकन एवं उल्लेखनीय उपलब्धियां

आयोजना (कृषि) इकाई लाख रू. में

क्र.	समूह	बजट प्रावधान	व्यय
	वर्ष 2008–2009		
1.	फसल उत्पादन	74394.81	33876.87
2	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	3001.64	3001.64
3	लघु सिंचाई	482.23	451.93
4	लघुत्तम सिंचाई	3287.17	2565.58
5	भूमि संरक्षण	646.29	661.72
	योग –	**81812.14**	**40557.74**
	वर्ष 2009–2010 (व्यय मासांत– जनवरी 2010)		
1.	फसल उत्पादन	73449.01	32349.88
2	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2090.28	1255.28
3	लघु सिंचाई	426.36	185.72
4	लघुत्तम सिंचाई	1940.00	1036.93
5	भूमि संरक्षण	651.52	661.52
	योग –	**78557.17**	**35489.33**

आयोजनेत्तर

वर्ष 2008–2009 में रूपये 23344.84 लाख के विपरीत रूपये 22628.29 लाख व्यय किए गए। वर्ष 2009–10 में रू. 21723.12 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू. 18563.71 लाख जनवरी 2010 अंत तक व्यय किये गये।

उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- वर्ष 2009–10 में सर्वाधिक 9.01 लाख मेट्रिक टन डीएपी का वितरण कराया गया। उर्वरक प्रदायकों द्वारा विकासखण्ड स्तर तक उर्वरक पहुँचा कर उपलब्ध कराया गया जिससे किसानों को समय पर उर्वरकों की सहज उपलब्धता रही।
- विगत 4 वर्षों में उर्वरक खपत 52.11 किलोग्राम/हेक्टर से 76.34 किलोग्राम/ हेक्टर तक पहुंची।
- प्रदेश के गुना, अशोकनगर, दमोह, बीना, व्यावरा एवं गंजबासोदा में नये रैक प्वांइट की स्थापना की गई।
- उर्वरक प्रदायकों द्वारा विकासखंड स्तर तक उर्वरक पहुंचाकर उपलब्ध कराया गया पूर्व में यह रैक पॉइन्टस् तक ही पहुँचाया जाता था।
- प्रदेश स्तर पर किसान काल सेंटर की शुरूआत की गई। देश में यह अनूठा प्रयोग पहली बार किसी राज्य द्वारा किया गया। किसान काल सेंटर के टोल फ्री दूरभाष क्रमांक 18002334433 पर प्रतिदिन लगभग 600 से अधिक प्रश्न दूरभाष के माध्यम से पूछे जाते हैं।
- सिरोंज, जिला विदिशा में प्रदेश के प्रथम सामुदायिक रेडियो केन्द्र–किसान वाणी की स्थापना की गई। इस केन्द्र से स्थानीय भाषा में किसानों को कृषि एवं सम्बद्ध विभागों की जानकारी दी जाती है, उन्नत खेती तकनीकी पर विशेषज्ञों की वार्ता का प्रसारण होता है तथा मनोरंजन के कार्यक्रम और स्थानीय समाचार भी प्रसारित किये जाते हैं।
- किसानों को नवीन तकनीकी जानकारी देने के लिये हिन्दी में देश की पहली वेबसाइट **www.mpkrishi.org** की शुरूआत विभाग द्वारा की गई।
- मध्यप्रदेश देश का सबसे अधिक प्रमाणित और ब्रीडर सीड उत्पादक राज्य बना।
- कृषि विस्तार में प्रायवेट–पब्लिक पार्टनरशिप द्वारा आत्मा परियोजना अंतर्गत देश में सर्वाधिक संस्थाओं की भागीदारी सम्मिलित की गई। अब तक 19 निजी संस्थाओं से एमओयू किये जा चुके हैं।
- मिट्टी परीक्षण के अंतर्गत वर्ष में 85040 मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया जाकर स्वाइल हेल्थ कार्ड प्रदाय किये जा रहे हैं।
- प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों में कृषि ज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसानों को इंटरनेट द्वारा उन्नत आधुनिक तकनीकी से अवगत कराने की पहल की गई।
- रबी एवं खरीफ मौसम से पूर्व, जिला स्तर पर 5 दिवसीय तथा तीन दिवसीय किसान विज्ञान मेले तथा विकासखण्ड स्तर पर दो दिवसीय कृषि मेलों का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया जिनके माध्यम से लाखों किसानों तक आधुनिक तकनीकी की जानकारी पहुँच सकी।
- प्रदेश में एक नवीन कृषि विश्वविद्यालय ''राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर'' की स्थापना की गई।

प्रमुख गतिविधियां

कृषि विकास की गतिविधियों के समुचित क्रियान्वयन के लिये विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को निम्नानुसार चार समूहों में विभाजित किया गया है –

1. कृषि उत्पादन
2. लघु सिंचाई
3. लघुत्तम सिंचाई
4. भूमि संरक्षण

कृषि उत्पादन

इस समूह के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दलहन, तिलहन, खाद्यान्न के साथ–साथ नगदी फसलों, विशेष रूप से कपास तथा गन्ना की उत्पादकता और क्षेत्रफल में विस्तार करते हुए अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करना है। भारत शासन के वित्तीय सहयोग से धान, मोटा अनाज, दलहन, तिलहन, मक्का, गन्ना तथा कपास की उत्पादकता में वृद्धि के लिये विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनायें प्रदेश में चल रही हैं । इसके साथ ही बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण रसायन, बीजोपचार सामग्री, कृषि यंत्र आदि की व्यवस्था, फसल बीमा, कृषक एवं विस्तार कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा बायोगैस आदि के कार्यक्रम भी इसी समूह के अंतर्गत चलाये जा रहे हैं। प्रदेश में कृषि तकनीकी के विकास और विस्तार में संलग्न कृषि विश्वविद्यालयों को आर्थिक योगदान देने की व्यवस्था भी कृषि उत्पादन समूह के अंतर्गत की गई है।

लघु सिंचाई

प्रदेश में कृषकों के निजी सिंचाई स्त्रोतों की वृद्धि हेतु लघु सिंचाई कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के कृषकों के खेतों पर नलकूप खनन तथा पंप प्रतिष्ठापन के लिये नाबार्ड के नार्म्स के आधार पर आर्थिक मदद दी जा रही है।

अ – नलकूप खनन, विकास तथा निर्माण के लिए लागत का 75 प्रतिशत अथवा रू. 15000/– में जो भी कम हो।

ब – सबमर्सिबल पंप एवं सहायक सामग्री के लिए कीमत का 75 प्रतिशत अथवा रू. 9000/– में जो भी कम हो, अनुदान सहायता दी जाती है।

नलकूप खनन प्रगति (लघु सिंचाई)

क्र.	वर्ष	वित्तीय बजट प्रावधान (रू. लाख में)	व्यय (रू. लाख में)
1	नलकूप खनन वर्ष 07–08	355.02	285.31
2	नलकूप खनन वर्ष 08–09	482.23	451.93
3	नलकूप खनन वर्ष 09–10	426.36	183.52 माह दिसंबर 09 तक

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर. के. वी. वाई.) –

राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के कृषकों को नलकूप खनन एवं पंप प्रतिष्ठापन के लिये आर्थिक मदद दी जा रही है–

अ. नलकूप खनन – नलकूप खनन हेतु सामान्य वर्ग के समस्त लघु सीमांत/दीर्घ कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू.15000/– में जो भी कम हो ।

ब. सबमर्सिबल पंप प्रतिष्ठापन हेतु सामान्य वर्ग के समस्त लघु सीमांत/दीर्घ कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू.9000/– जो भी कम हो अनुदान देय दिया जाता है।

नलकूप खनन प्रगति (आर. के. वी. वाई.)

क्रमांक	वर्ष	वित्तीय बजट प्रावधान (रू. लाख में)	व्यय (लाख में)
1	2007–08	480.00	290.00
2	2008–09	1667.00	958.81
3	2009–10	480.00	287.89 दिसंबर 09

डीजल/ विद्युत पंप योजना – प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–09 में चयनित 18 जिलों के लिये समस्त वर्ग के लघु–सीमांत कृषकों को डीजल एवं विद्युत पंप सेट क्रय करने हेतु कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 10,000/– में जो भी कम हो, अनुदान सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

इस योजना में वर्ष 2008–09 में भौतिक लक्ष्य 2785 एवं वित्तीय राशि रू. 278.50 का कार्यक्रम जिलों को दिया गया हैं। जिसके विरूद्ध भौतिक पूर्ति एवं वित्तीय पूर्ति का विवरण निम्नानुसार अनुदान कृषकों को दिया गया।

क्रमांक	वर्ष	भौतिक पूर्ति	वित्तीय बजट (राशि रू. लाख में)	व्यय (राशि रू. लाख में)
1	2008–09	712	114.00	72.60
2	2009–10	80	57.46	7.85

भूमि संरक्षण

प्रदेश में लगभग 70 प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है । इस क्षेत्र में भूमि एवं जल संरक्षण के कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। भूमि संरक्षण के अंतर्गत नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख नदी योजना और राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना के तहत केन्द्र शासन की वित्तीय सहायता से चुने हुये जलग्रहण क्षेत्रों का समन्वित विकास किया जा रहा है ।

भाग – तीन

राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनायें

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था प्रमुखतः कृषि आधारित होने के कारण विभाग के कार्यक्रमों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। विभाग का प्रमुख उद्देश्य प्रति हैक्टर उत्पादकता में वृद्धि कर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है ताकि कृषक आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सकें । कृषि के समग्र विकास के लिए भूमि एवं जल प्रबंध, सिंचाई सुविधा में बढ़ोत्री, उपयुक्त प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने, प्रति हैक्टर उर्वरक खपत बढ़ाने, जैविक खाद का उपयोग बढ़ाने, फसलों को कीट व्याधि की क्षति से बचाने का ज्ञान देने, उन्नत तकनीक का विकास करने एवं कृषकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने, कृषि विस्तार कर्मियों के साथ–साथ कृषकों को भी कृषि की नवीनतम तकनीक से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण देने आदि के कार्यक्रम कृषि विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चलाये जा रहे हैं ।

कृषि विकास के ऐसे कार्यक्रम जिन से कृषक सीधे लाभान्वित होते हैं तथा जिनका आकार छोटा होता है, उनका दायित्व जिला पंचायतों को सौंपा गया है। ऐसी योजनाओं से सम्बन्धित धन राशि का आवंटन भी सीधे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों को दिया गया है, ताकि पंचायतें पात्र हितग्राहियों का चयन कर उन्हें लाभान्वित कर सकें।

विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रमुख राज्य पोषित एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

राज्य पोषित योजनाएं

बलराम ताल योजना – सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करने तथा आवश्यकतानुसार, जीवन रक्षक सिंचाई की पूर्ति हेतु योजना संचालित है ।

बलराम ताल योजना अंतर्गत सामान्य कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत, लघु–सीमांत कृषकों को 50 प्रतिशत (अधिकतम राशि रूपये 80 हजार) तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के कृषकों को लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 1 लाख अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। एक बलराम ताल से 5 हेक्टेयर तक क्षेत्र सिंचित हो सकता है ।

वर्ष 2008–09 में योजना हेतु राशि रूपये 2687.17 लाख वित्तीय प्रावधान के विरूद्ध मार्च 2009 तक 3738 बलराम ताल के निर्माण किया जाकर राशि रूपये 2498.33 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2009–10 में राशि रू. 1040.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसंबर 09 तक 1602 बलराम ताल का निर्माण किया जाका राशि रू. 810.81 लाख का व्यय किया गया है।

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम

राष्ट्रीय बायोगैस निर्माण के लिये मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम, एम. पी. आर. एल. एवं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग कार्य कर रहे हैं। केन्द्र शासन ने नोडल एजेन्सी के रूप में मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम एवं सब नोडल एजेंसी के रूप में एम. पी. आर. एल.पी. तथा उर्जा विकास निगम को अधिकृत किया है। प्रदेश के सभी जिलों में संचालित इस कार्यक्रम में एक घन मीटर से चार घन मीटर क्षमता के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना पर एक नवंबर 2009 से नाबार्ड द्वारा स्वीकृत इकाई लागत अनुसार अनुदान का भुगतान 50 प्रतिशत अथवा एक घन मीटर पर रू. 4000 एवं 2 से 4 घन मीटर पर प्रति संयत्र रू. 8000 केंद्रीय अनुदान देय है।

वर्ष 2008–09 (दिनांक 1–4–08) से राज्य शासन द्वारा प्रत्येक हितग्राही को 1 घनमीटर से 5 घनमीटर क्षमता के बायोगैस संयंत्रों पर केंद्रीय अनुदान के अतिरिक्त राज्य अनुदान (टाप अप) राशि रू. 2500/– प्रति संयत्र देय है।

प्रदेश में वर्ष 2008–09 में भारत सरकार द्वारा 16750 संयंत्रों का लक्ष्य निर्धारण किया गया था, जिसके विरूद्ध 31 मार्च 2009 तक 14077 संयंत्र निर्मित हुये थे। वर्ष 2009–10 में 17000 संयंत्रों के निर्माण का लक्ष्य भारत सरकार उर्जा स्रोत्र मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्राप्त हुआ था। दिसंबर 2009 तक प्रदेश में 7736 बायोगैस संयंत्र निर्मित कर स्थापित किये गये हैं एवं 1019 संयंत्र निर्माणाधीन अवस्था में हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु प्रशिक्षण योजना –प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रमशः 12.35 एवं 20.44 प्रतिशत कृषक हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों के प्रशिक्षण योजना वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के 20 जिले बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, सीधी, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानुपर, रतलाम, श्योपुरकला, बैतूल, एवं होशंगाबाद तथा शेष अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, बालाघाट, छिदवाड़ा, सिवनी, मंडला, सीधी, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, इंदौर, ग्वालियर, खरगोन, खंडवा, धार, उज्जैन, मंदसौर, देवास,शाजापुर, नीमच, रतलाम, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, बैतूल,होशंगाबाद, तथा हरदा जिलों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत इस वर्ग के किसानों को एवं कृषि से जुड़े व्यवसाय में प्रशिक्षण एवं भ्रमण के माध्यम से कौशल उन्नयन किया जाता है। जिसमें प्रशिक्षण भ्रमण के माध्यम से इस वर्ग के कृषकों को कम लागत की तकनीकी की व्यवहारिक जानकारी देकर उन्हें कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रेरित करना तथा जीवन स्तर में सुधार लाना है। योजना में राज्य के बाहर एवं अंदर कृषक भ्रमण सेमीनार/वर्कशाप, इंटरफेस, कृषि मेला का आयोजन किसान मित्र तथा किसान दीदी, भूमिहीन कृषक, महिला कृषक तथा कृषक प्रशिक्षण का दिया जाता है।

इस योजना अंतर्गत वर्ष 2007–08 के बजट में राशि रू. 552.00 लाख का प्रावधान के विरूद्ध रू. 487.42 लाख व्यय करते हुये अनुसूचित जनजाति के 7981 एवं अनुसूचित जाति के 19522 कृषक इस तरह कुल 27503 कृषक लाभान्वित किये गये। वर्ष 2008–09 में मार्च 2009 तक बजट में राशि रू. 552.00 लाख का प्रावधान के विरूद्ध रू. 510.00 लाख व्यय करते हुये अनुसूचित जनजाति के 27792 एवं अनुसूचित जाति के 38893 इस तरह कुल 66685 कृषक लाभान्वित किये गये।

योजना अंतर्गत वर्ष 2009–10 हेतु वित्तीय लक्ष्य रू.552.00 लाख के विरूद्ध जनवरी 2010 तक 460.15 लाख रूपये व्यय किये गये तथा अनुसूचित जनजाति के 13630 एवं अनुसूचित जाति के 10080 इस तरह कुल 23710 कृषक लाभान्वित किये गये हैं।

कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा)

भारत सरकार सहायतित कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम **आत्मा** को प्रदेश में वर्ष 2005–06 से प्रदेश के 15 जिलों में लागू किया गया तथा वर्तमान में यह योजना संपूर्ण प्रदेश में संचालित है। कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था 90 प्रतिशत केद्रांश व 10 प्रतिशत राज्यांश से की जाती है। वर्ष 2009–10 हेतु कुल अनुमोदित राशि रू. 3305.11 लाख है तथा प्रथम किस्त के रूप में रू 1000.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है। इसमें राज्यांश की 10 प्रतिशत राशि रू.248.56 लाख जारी की गई है। वर्ष 2009–10 में मासांत जनवरी 2010 तक व्यय राशि रू. 2447.024 लाख व्यय की गई। जिसमें से राशि रू. 510.92 लाख का व्यय पी. पी. पार्टनर्स द्वारा किया गया है।

आत्मा अंतर्गत विभाग एवं संबंद्ध विभाग (उद्यानिकी, मत्स्य, रेशम विभाग, पशुपालन) तथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अंतर्गत चयनित 19संस्थायें (एन.आई.सी.टी., सतपुड़ा विज्ञान सभा, महात्मा गांधी प्रतिष्ठान, समर्पण, एक्सेस डेव्लपमेंट, बैफ, सृजन, कार्ड, न्यूसिड, एम.सी.एम., प्रकृति भारती, के.जे. एजूकेशन सोसायटी, मंथन, दावत, आसा, प्रदान, जी.व्ही.टी., आइसेप, एम.पी.आर.एल.पी.) द्वारा किसानों के समूह हेतु प्रशिक्षण, भ्रमण, इंटरफेस, किसान गोष्ठी, प्रदर्शन, मेला, क्षमता विकास, फार्म स्कूल संचालन, फार्मर्स अवार्ड, गतिविधियां, रणनीतिक अनुसंधान योजना पर आधारित राज्य विस्तार कार्य योजना के अनुरूप किया जाता है। वर्ष 2009–10 में चयनित 19 संस्थाओं की परियोजना लागत 1316.56 लाख में संस्थाओं की हिस्सेदारी 133.76 लाख एवं आत्मा का हिस्सा 1182.80 लाख रखना प्रस्तावित है।

बीज गुण नियंत्रण कार्यक्रम

किसानों को मानक स्तर का उन्नत बीज उपलब्ध हो, इस हेतु प्रदेश में 4 बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें स्थापित हैं। इनमें एक प्रयोगशाला विभागीय, दो बीज प्रमाणीकरण संस्था तथा एक तिलहन संघ के अधीन है। विभागीय प्रयोगशाला, ग्वालियर द्वारा वर्ष 2007–2008 में कुल 4013 बीज नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 3250 नमूने मानक स्तर के पाये गये। वर्ष 2008–09 हेतु 5600 नमूने विश्लेषित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध 3529 नमूने विश्लेषित किये गये।वर्ष 2009–10 हेतु 6000 नमूने विश्लेषित करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसके विरूद्ध 4073 नमूने विश्लेषित किये गये।

उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम

प्रदेश के किसानों को उत्तम गुणवत्ता का उर्वरक प्राप्त हो सके इस हेतु उर्वरकों के नमूने सतत रूप में लिये जाते हैं। इन उर्वरकों के नमूनों के परीक्षण हेतु प्रदेश में 4 उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर में कार्यशील हैं। इसके अलावा केंद्रीय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला फरीदाबाद एवं विभिन्न प्रदेशों में स्थित क्षेत्रीय प्रयोशालाओं को भी नमूने भेजे जाते हैं। वर्ष 2007–2008 में 4932 उर्वरक नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिसमें से 3888 मानक स्तर के पाये गये । वर्ष 2008 – 09 में 4276 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 3616 नमूने मानक स्तर के पाये गये। इस वर्ष 2009–10 में जनवरी 2010 तक 3992 नमूनों का परीक्षण किया गया जिसमें 3303 मानक स्तर के पाये गये।

उर्वरक वितरण

तत्व		उपलब्धियां (लाख मे. टन तत्व)			लक्ष्य
	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10(जनवरी 2010)	खरीफ 2010
नत्रजन	7.30	7.96	8.03	8.58	4.34
स्फुर	4.10	4.30	5.30	5.74	4.00
पोटाश	0.65	0.76	0.90	0.90	0.72
योग	12.05	13.02	14.23	15.22	9.06

कीटनाशक गुण नियंत्रण कार्यक्रम

फसलों को कीट–व्याधि से बचाने के लिये उपयोग की जाने वाली कीटनाशक औषधियों के परीक्षण के लिये प्रदेश में एक कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला जबलपुर में स्थापित है। वर्ष 2007–08 में 1142 नमूनों का परीक्षण किया गया एवं 1063 नमूने मानक स्तर के पाये गये। वर्ष 2008–09 में मार्च 2009 तक 906 नमूनों का परीक्षण किया गया एवं 856 नमूने मानक पाये गये। वर्ष 2009–10 में दिनांक 21–1–10 तक 738 नमूनों का परीक्षण किया गया एवं 705 नमूने मानक पाये गये।

नाडेप विधि से कम्पोस्ट खाद तैयार करने की योजना

नाडेप विधि से कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए कृषकों को नाडेप निर्माण हेतु रू. 2000/– प्रति नाडेप अनुदान दिया जाकर कृषकों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जैविक एवं टिकाउ कृषि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को सतत् प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्ष 2009–10 में अब तक आर.के व्ही.वाई योजनान्तर्गत 1439 वर्मी कम्पोस्ट एवं 2161 नाडेप निर्माण किया गया। आई. एन. एम. योजना के अंतर्गत वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 तक 3474 वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण किया गया है।

लघुत्तम सिंचाई योजना (आर.के. व्ही. वाई. योजनान्तर्गत)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 से 40 हेक्टर तक की सिंचाई क्षमता वाले लघुत्तम सिंचाई तालाबों का निर्माण कार्य शासकीय भूमि पर कराया जाता है। अतिविशिष्ट प्रकरण में स्टाप डेम निर्माण का औचित्य प्रतिपादित होने पर जल संसाधन विभाग (बोधी) द्वारा प्रसारित तकनीकी दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन स्वीकृति पश्चात स्टाप डेम का निर्माण भी किया जाता है। निर्माण उपरांत इन संरचनाओं को संबंधित ग्राम पंचायत/उपभोक्ता समूह के लिये रखरखाव एवं उपयोग करने के उद्देश्य से हस्तांतरण कर दिया जाता है।

वर्ष 2008–2009 के लिये राशि रू. 1250.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। जिसमें से राशि रू.1250.00 लाख का आवंटन लघुत्तम सिंचाई तालाब निर्माण हेतु जारी किया गया है। मार्च 2009 तक राशि रू. 1250.00 लाख का व्यय किया जाकर 56 योजनाएं पूर्ण की गई हैं।

केन्द्र प्रवर्त्तित योजनाएं

विभाग में केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं प्रमुखतः 3 प्रकार की है। इनका समूहवार वितरण, संख्या तथा सहभागिता का विवरण निम्नानुसार है :–

मिशन योजनाएं

इस समूह में वे योजनायें शामिल हैं, जो तकनीकी मिशन के अन्तर्गत आती हैं। इनमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार की वित्तीय सहभागिता का अनुपात 75 : 25 है। ऐसी योजनाएं जो राज्य में चल रही हैं, वे हैं – तिलहन, दलहन एवं मक्का विकास की एकीकृत योजना (आइसोपाम) तथा कपास विकास कार्यक्रम।

मेक्रोमेनेजमेंट योजनाएं

इस समूह के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य शासन के सहयोग से संचालित योजनाएं शामिल की गई हैं। इनमें केन्द्र एवं राज्य की वित्तीय सहभागिता का अनुपात 90 : 10 है। इन योजनाओं में राज्य सरकार कार्यक्रमों का सृजन करने एवं उपयुक्त घटक शामिल करने के लिये स्वतंत्र हैं। इस समूह में जो योजनाएं शामिल की गई हैं वे हैं – एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (चावल एवं मोटा अनाज), सतत् गन्ना विकास, बेलेन्स एण्ड इन्टीग्रेटेड यूज आफ फर्टीलाइजर्स, एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन, राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, भू जल संवर्धन योजना, कृषि विस्तार, प्रशिक्षण एवं प्रचार तथा कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम।

विशेष केन्द्रीय सहायता की योजनाएं

इस समूह की योजनाएं शत प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता से चलाई जा रही है। इनमें प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लघु तथा सीमांत कृषकों को अनाज, दलहन एवं तिलहन फसलों के बीज पारंपरिक बीजों के बदले उपलब्ध कराये जाते हैं। साथ ही उन्हें उन्नत बीज के उपयोग हेतु प्रोत्साहित कर स्वावलम्बी बीज उत्पादक बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस समूह में दो बहु आयामी योजनाएं हैं – एक अन्नपूर्णा व दूसरी सूरजधारा। अन्नपूर्णा अनाज की फसलों के लिये है तथा सूरजधारा में दलहन व तिलहन के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं।

प्रमुख योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है –

(अ) मिशन योजनाएं

तिलहन, दलहन एवं मक्का की एकीकृत योजना (आईसोपाम)

मध्यप्रदेश में आइसोपाम योजना वर्ष 2004–05 से चलाई जा रही है। इसमें पूर्व से चल रही राष्ट्रीय तिलहन योजना, राष्ट्रीय दलहन योजना एवं मक्का योजना को शामिल किया गया है।

वर्ष 2009–10 में भारत सरकार को 3500.00 एवं 4200.00 लाख रू. का एक्शन प्लान भेजा गया था जिसको भारत सरकार द्वारा 3500.00 लाख एक्शन प्लान अनुमोदन किया गया। जिसके विरूद्ध भारत सरकार से रू. 3694.36 लाख उपलब्ध कराये गये। इसके अतिरिक्त राशि रू.20.00 लाख पूर्व वर्ष के उपलब्ध थे। इस प्रकार कुल राशि रू. 3714.36 लाख ही उपलब्ध हुई है। जिसमें राज्याशं 25 प्रतिशत राशि रू.1238.11 लाख रूपये इस प्रकार कुल मिलाकर राशि रू. 4952.48 लाख ही प्राप्त हुई है। उपलब्ध राशि जिलों को आवंटित की जाकर लक्ष्य दिये गये। इसके विरूद्ध जनवरी 2010 तक कुल राशि रू. 2393.75 लाख व्यय की जा चुकी है।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन – 2 कार्यक्रम

कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन–2 कार्यक्रम प्रदेश के 14 कपास उत्पादक जिलों में केन्द्र और राज्य शासन के सहयोग से चलाया जा रहा है । योजना के घटकों में केन्द्र और राज्य की 75:25 की भागीदारी है। कार्यक्रम का उद्देश्य कपास उत्पादक कृषकों को उत्तम गुणवत्ता वाले कपास के अधिकतम उत्पादन के लिये प्रेरित करना है। योजना के अंतर्गत प्रमाणित बीज वितरण, विस्तार कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण, कृषक प्रशिक्षण, रसायनों से बीज उपचार, हस्त चलित एवं शक्ति चलित स्प्रेयर, डीलिंटिंग प्लांट की स्थापना, बायो एजेन्ट लेब की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, बायो एजेन्टस, बायो/पेस्टीसाईड्स वितरण, फेरोमेन ट्रेप्स/ लाइट ट्रेप्स, कृषि यंत्रों का अग्रपंक्ति प्रदर्शन, कपास उत्पादन प्रौद्योगिकी का अग्र पंक्ति प्रदर्शन, स्प्रिंकलर सेट तथा टपक सिंचाई आदि घटक सम्मिलित किये गये हैं।

वर्ष 2007–2008 में इस योजना के अंतर्गत रूपये 411.19 लाख व्यय हुये। इस वर्ष मार्च 2009 तक रूपये 475.92 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2009–2010 हेतु रूपये 1136.05 लाख का तकनीकी कार्यक्रम भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। जिसके विरूद्ध माह दिसंबर 2009 तक राशि रू.439.36 व्यय किया गया।

(ब) मैक्रोमेनेजमेंट योजनाएं

एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी. कोर्स सीरियल)

जनवरी 2001 से संचालित मेक्रो मेनेजमेंट योजना अन्तर्गत आई.सी.डी.पी. कोर्स सीरियल एवं कृषि विकास कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा एवं कोदो कुटकी के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। केन्द्र और राज्य की क्रमशः 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत भागीदारी से क्रियान्वित इस योजना में बीज वितरण, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, मेडागास्कर मेथोडॉलॉजी प्रदर्शन, अन्तरवर्ती फसलों को बढ़ावा, कम्युनिकेशन सपोर्ट, प्रिंटेड मटेरियल, कृषक प्रशिक्षण आदि पर शासन द्वारा अनुदान देय है।

जैविक कीटनाशकों पर अनुदान, साहित्य/प्रसार/इलेक्ट्रानिक सामग्री, राज्य स्तरीय कार्यशाला जिला स्तरीय कार्यशाला, बीज उपचार कार्यक्रम घटकों को भी एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई. सी. डी. पी.) में शामिल किया गया है। इस योजना में वर्ष 2009–10 में रू.668.07 लाख आवंटन के विरूद्ध माह जनवरी 2010 तक राशि रू. 257.057 लाख का व्यय हो चुका है।

केन्द्र प्रवर्तित सतत गन्ना विकास योजना

केन्द्र प्रवर्तित सतत गन्ना विकास का यह कार्यक्रम प्रदेश के 27 प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों में चलाया जा रहा है। गन्ना फसल के क्षेत्र प्रसार एवं उत्पादन वृद्धि के लिये गन्ना उत्पादक कृषकों को गन्ना प्रदर्शन, गन्ना बीज प्रगुणन, कृषक प्रशिक्षण, ड्रिप ईरीगेशन/फर्टिगेशन सिस्टम, माइक्रोन्यूट्रीयंट पर अनुदान, प्लांट मटेरियल एंड सीड ट्रीटमेंट पर अनुदान, कृषक भ्रमण, वर्ष 2008–09 में इस योजना के संचालन में राशि रू. 18.56 लाख व्यय हुये। वर्ष 2009–10 मे रू. 46.70 लाख का प्रावधान योजनान्तर्गत किया गया था। इसके विरूद्ध जनवरी 2010 तक 7.4 लाख का व्यय हुआ है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में धीमी वृद्धि के संबंध में व्यक्त चिंताओं के बारे में राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद (एनडीसी) ने 29 मई 2007 को हुई अपनी बैठक में यह संकल्प किया कि एक विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्कीम (आरकेवीवाई) शुरू की जाए। एन. डी. सी. ने संकल्प किया कि किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिये कृषि विकास रणनीतियों को नया किया जाना चाहिये ताकि कृषि को नवीन रूप दिया जा सके। एन. डी.सी. ने ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराई।

आर. के. वी. वाई. का लक्ष्य कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुये ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है। स्कीम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं।

1. कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने के लिये राज्यों को प्रोत्साहित करना।
2. राज्यों को कृषि और समवर्गी क्षेत्र की स्कीमों के नियोजन व निष्पादन की प्रक्रिया में लचीलापन तथा स्वायत्ता प्रदान करना।
3. कृषि जलवायुवीय स्थितियां, प्रौद्योगिकी तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिलों और राज्यों के लिये कृषि येाजनाएं तैयार किया जाना सुनिश्चित करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि राज्यों की कृषि योजनाओं में स्थानीय जरूरतों/फसलों/प्राथमिकताओं को बेहतर रूप से प्रतिबिंबित किया जाए।
5. केन्द्रक हस्तक्षेपों के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज अंतर को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करना।
6. कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में किसानों की आय को अधिकतम करना।
7. कृषि और समवर्गी क्षेत्रों के विभिन्न घटकों का समग्र ढंग से समाधान करके उनके उत्पादन और उत्पादकता में मात्रात्मक परिवर्तन करना।

यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू की गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान, गेहूं एवं दलहन)

राष्ट्रीय विकास परिषद (एन. डी. सी.) की दिनांक 29 मई 2007 को आयोजित 53 वीं बैठक में एक संकल्प पारित किया गया जिसके अंतर्गत 11 वीं योजना (2011–12) के अंत तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं और 2 मिलियन टन दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। तदनुसार उक्त संकल्प को प्रचलात्मक बनाने के लिये वर्ष 2007–08 से केंद्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 3 घटक हैं।

1. रा.खा.सु.मि. धान (एन. एफ. एस. एम. – धान)
2. रा.खा.सु.मि. गेहूं (एन. एफ. एस. एम. – गेहूं)
3. रा.खा.सु.मि. दलहन (एन. एफ. एस. एम. – दलहन)

म. प्र. राज्य में यह योजना 1 अक्टूबर 2007 से प्रारंभ हुई है, जिसमें रा. खा. सु. मि. गेहूं एवं एवं दलहन सम्मिलित किये गये हैं। वर्ष 2008–09 से धान, गेहूं एवं दलहन सम्मिलित किये गये हैं।

- मिशन के मुख्य उद्देश्य राज्य के अभिज्ञात जिलों में क्षेत्र विस्तार और सतत् रीति से उत्पादकता वर्धन के माध्यम से धान, गेहूं और दलहनों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करना ।
- मृदा उर्वरता और उत्पादकता का संरक्षण करना ।
- रोजगार अवसरों का सृजन ।
- प्रक्षेप स्तर पर आर्थिक लाभ बढ़ाना ताकि किसानों में आत्म विश्वास पैदा हो सके।

रा.खा.सु.मि. भारत सरकार के शत प्रतिशत सहभागिता से चल रही है। रा.खा.सु.मि. धान 9 जिलों में रा.खा.सु.मि. गेहूं 30 जिलों में रा.खा.सु.मि. दलहन 20 जिलों में लागू की गई है।

वर्ष 2007–08 में कुल प्राप्त राशि रू.4612.495 लाख के विरूद्ध रू. 897.453 लाख व्यय हुये।

वर्ष 2008–09 में प्राप्त राशि रू. 10153.302 लाख के विरूद्ध रू.5855.490 लाख व्यय हुये हैं। वर्ष 2009–10 में राशि रू. 12497.720 लाख के कार्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त हुआ एवं राशि रू. 3733.400 लाख की रिलीज प्राप्त हुई। गत वर्ष की शेष राशि रू. 4297.812 लाख मिलाकर वर्ष 2009–10 हेतु उपलब्ध राशि रू. 8031.212 लाख के विरूद्ध जनवरी 2010 अंत तक राशि रू. 3871.92 लाख व्यय हुये हैं।

बेलेन्स एण्ड इंटीग्रेटेड यूज आफ फर्टिलाइजर प्रोग्राम एंड आई.एन.एम.

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में बी.जी.ए. कल्चर वितरण, हरी खाद बीज वितरण एवं वर्मी कम्पोस्ट पिट स्थापना पर कृषकों को अनुदान/सहायता दी जा रही है। कृषकों को फार्म फील्ड स्कूल के द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। जैविक खेती के विकास हेतु प्रत्येक विकास खंड में 10 ग्रामों का चयन किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 3130 ग्रामों का " **जैविक खेती गांव** " के रूप में चयन कर जैविक खेती तकनीक का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी शासकीय प्रक्षेत्रों पर भी 50:50 के आधार पर जैविक एवं रासायनिक खेती की जा रही है। प्रदेश स्तर पर जैविक नीति तैयार की गई है। जिसका कियान्वयन शीघ्र ही किया जायेगा।

इस योजना में वर्ष 2009–10 में रूपये 200.00 लाख का कार्यक्रम तैयार कर जिलों को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य दिये गये है। जिसके विरूद्ध राशि जिलों को उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2009–10 में 2515 नाडेप तथा वर्मी कम्पोस्ट 9940 पिट निर्माण के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। माह दिसंबर 2009 तक 3291 वर्मी कम्पोस्ट एवं 1579 नाडेप का निर्माण किया गया है।

राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम मध्यप्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1990–91 से प्रारंभ किया गया। योजना अन्तर्गत कुल 660202 हैक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया जाकर रूपये 12942.173 लाख व्यय किये गये।

10 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित कार्यक्रम 11100.00 लाख वित्तीय के विरूद्ध भारत सरकार से मेक्रोमेनेजमेंट प्लान के तहत योजना को रू. 6937.07 लाख प्राप्त हुए। जिसमें से 6668.83 लाख रूपये का व्यय किया जाकर 209822 हैक्टर क्षेत्र उपचार का कार्य किया गया है।

वर्ष 2008–09 हेतु कुल प्रावधानित राशि रूपये 3127.49 लाख वित्तीय तथा 42648 हैक्टर क्षेत्र उपचारित करने का कार्यक्रम बनाया गया है। माह मार्च 09 तक रू. 2859.49 लाख का व्यय किया जाकर 21000 हैक्टर क्षेत्र उपचारित किया गया है।

वर्ष 2009–10 हेतु प्रावधानित राशि 2050.30 लाख के विरूद्ध 25500 हैक्टर क्षेत्र उपचारित करने का कार्यक्रम तैयार किया गया। जिसके विरूद्ध माह फरवरी 8–2–10 तक योजना में 1281.20 लाख का व्यय किये जाकर 13610 हैक्टर क्षेत्र उपचारित किया गया है।

भू–जल संवर्धन योजना

मेक्रोमेनेजमेंट प्लान अंतर्गत परकोलेशन टेंक का निर्माण वर्ष 2000 से किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत भारत सरकार से प्रदेश को मेक्रोमेनेजमेंट के अंतर्गत प्राप्त राशि से 10 प्रतिशत राशि इनोवेटिव के अंतर्गत प्राप्त होती है। येाजना का मुख्य उद्देश्य अनियंत्रित अपर्याप्त वर्षा एवं भू जल के अनियमित दोहन से प्रदेश के भू–जल स्तर में आ रही गिरावट को स्थिर रखना है। योजना में अधिकतम राशि रू. 5 लाख तक के परकोलेकेशन टेंक का निर्माण शासकीय भूमि पर शत प्रतिशत अनुदान पर विभाग द्वारा किया जाता है, जिससे आस पास के कूप एवं नलकूप में जल स्तर में वृद्धि होने के कारण सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है। निर्माण उपरांत इन संरचनाओं को संबंधित ग्राम पंचायत/उपयोगिता समूह के लिये रख रखाव एवं उपयोग करने के उद्देश्य से हस्तांतरण कर दिया जाता है। योजना प्रारंभ से वर्ष 2008–09 तक 1475 परकोलेशन टेंक का निर्माण किया गया है। 2009–10 हेतु आवंटित राशि रू. 825.00 लाख के विरूद्ध जनवरी 2010 तक राशि 509.86 का व्यय कर 77 परकोलेशन टेंक पूर्ण किये गये।

नदी घाटी/बाढ़ उन्मुख नदी योजना

देश की अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं, पन बिजली परियोजनाओं एवं बहुद्देशीय परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों से सिल्ट के बहाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नदी घाटी योजना/बाढ़ उन्मुख नदी योजना प्रदेश में क्रियान्वित है।

योजना भारत सरकार द्वारा मेक्रोमेनेजमेंट प्लान के अंतर्गत संचालित है जिसमें 90 प्रतिशत भारत सरकार का अंश तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश होता है। वर्ष 2008–09 में 21935 हेक्टेयर क्षेत्र एवं राशि रूपये 1596.06 लाख के वित्तीय प्रावधान के विरूद्ध 20453 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया। जिस पर राशि रूपये 1586.44 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2009–10 में योजना हेतु रूपये 2200.00 लाख का प्रावधान के विरूद्ध दिसंबर 09 तक राशि रू.1213.73 लाख व्यय किया जाकर 16524 हेक्टैयर क्षेत्र उपचारित किया गया।

विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं

1. सूरजधारा योजना : (दलहनी एवं तिलहनी फसलों के लिये)

(i) बीज अदला–बदली

प्रदेश के सभी जिलों में संचालित सूरज धारा योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमान्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कृषकों को एक हैक्टर की सीमा तक उनके दलहन या तिलहन फसलों के परंपरागत बीज के बदले में उन्नत बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। बीज प्राप्त करने के लिये कृषक को किसी भी फसल का सामान्य बीज, जो वह अपने बोने के कार्य में लेता है, शासन को देना होता है। इस प्रकार दिये गये बीज का मूल्य, प्रदाय किये गये प्रमाणित बीज के 25 प्रतिशत कीमत के बराबर होना चाहिये । यदि कृषक बीज देने में असमर्थ है तो वह 25 प्रतिशत तक की सीमा तक का पैसा नगद में भुगतान कर एक हैक्टर सीमा तक का प्रमाणित बीज प्राप्त कर सकता है। योजना में यह भी प्रावधान है कि यदि आगामी वर्ष या आगामी फसल में कृषक पुनः बीज चाहता है तो उसे पूर्व वर्षों में दी गई फसल का बीज नहीं दिया जाएगा, परन्तु वह अन्य फसल का बीज उपरोक्त विधि के अनुसार प्राप्त कर सकता है । उन्नत किस्मों के बीज समुचित मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 1999–2000 से बीज स्वावलंबन एवं बीजोत्पादन कार्यक्रम को भी सूरजधारा योजना में शामिल किया गया है ।

(ii) बीज स्वावलंबन योजना

बीज उत्पादन में कृषकों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सूरजधारा योजना के अंतर्गत बीज स्वावलंबन का कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया है । इसके अंतर्गत कृषकों को उसके द्वारा धारित भूमि के 1/10 रकबे के लिये आधार बीज दिये जाने का प्रावधान है, जिससे कृषक के पास अगले वर्ष अपने क्षेत्र के लिये प्रमाणित बीज उपलब्ध हो सके । कृषक को बीज के बदले 25 प्रतिशत की मात्रा का बीज या नगद राशि जमा करनी होगी ।

(iii) बीज उत्पादन कार्यक्रम

कृषकों को प्रमाणित बीज उनके ही क्षेत्र में उत्पादित कर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूरजधारा योजना के अंतर्गत बीज उत्पादन कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है । इसमें शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों पर तिलहन एवं दलहन फसलों का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिये जाने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषक को कम से कम 0.2 हैक्टर क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम लेना होगा। कृषकों को आधार बीज उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिये उसे 25 प्रतिशत कीमत का बीज या नगद राशि शासन को देना होगा। बीजोत्पादन कार्यक्रम के लिये बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, जिसका शुल्क शासन द्वारा दिया जावेगा। कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादित बीज के प्रोसेसिंग व पेकिंग की कार्यवाही प्रक्षेत्र के निकटतम प्रक्रिया केन्द्र पर करवाई जावेगी ।

बीज उत्पादन कार्यक्रम में उत्पादित बीज की व्यवस्था उत्पादन समिति के द्वारा की जावेगी, जिसका गठन बीज उत्पादक कृषकों के सहयोग से प्रक्षेत्र अधीक्षक द्वारा किया जावेगा। समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक प्रक्षेत्र का संयुक्त खाता बैंक में खोला जावेगा । बीज उत्पादन कार्यक्रम एवं उसका वितरण समिति द्वारा संपादित होगा ।

वर्ष 2009–2010 माह दिसंबर 2009 की स्थिति में 36478.445 हैक्टर क्षेत्र के लिये 18099.35 क्विंटल बीज कृषकों को उपलब्ध कराया गया। लाभान्वित कृषक 88508 रहे। इस कार्यक्रम में रूपये 496.828 लाख अनुदान रूप में व्यय हुये हैं।

2. अन्नपूर्णा योजना : (खाद्यान्न फसलों के लिये)

योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उनके द्वारा दिये गये बीज के बदले अनाज फसलों के उन्नत संकर बीज एक हैक्टर की सीमा तक प्रदाय किये जाते हैं। ऊपर वर्णित बीज अदला–बदली, बीज स्वावलंबन तथा बीज उत्पादन कार्यक्रम अनुसार ही इस योजना की प्रक्रिया निर्धारित है।

वर्ष 2009–2010 माह दिसंबर 2009 की स्थिति में 28287.499 हैक्टर क्षेत्र में 19907.77 क्विंटल अनाज फसलों का बीज 62891 कृषकों को उपलब्ध कराया गया। इस हेतु रूपये 393.848 लाख की धन राशि अनुदान रूप में व्यय हुये है।

बीज ग्राम योजना

बीज ग्राम योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य कृषकों के लिये है। उक्त योजना में कृषकों को आधा एकड़ बीजोत्पादन कार्यक्रम हेतु अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना में आधार एवं प्रमाणित बीज का उपयोग होता है। कृषक द्वारा उत्पादित बीज का कृषक स्वयं उपयोग करता है। बीज ग्राम येाजना में भारत शासन का शत प्रतिशत सहयोग हैं।

वर्ष 2007–08 में 2120 ग्रामों का चयन किया गया जिससे 121666 कृषकों को लाभ मिला। वर्ष 2009–10 माह जनवरी 2010 अंत तक 2500 ग्रामों में 23213 क्विंटल बीज वितरित किया गया जिससे 209759 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

आदिवासी उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना

वार्षिक योजना वर्ष 2008–09 में विभाग को कुल शिखर सीमा रू. 68961.14 लाख हैं। आदिवासी उपयोजना के लिये रू. 13203.20 लाख अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये रू. 9153.07 अनुमोदित थी। आदिवासी उपयोजना रूपये 15477.75 लाख बजट प्रावधान के विपरीत मार्च 2009 तक रू. 7279.19 लाख व्यय हुये। इसी प्रकार अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रू. 9423.57 लाख बजट प्रावधान के विपरीत मार्च 2009 तक रू. 4624.15 लाख व्यय हुए।

वार्षिक योजना वर्ष 2009–10 में विभाग को कुल अनुमोदित प्रावधान रू. 62303.77 लाख है। आदिवासी उपयोजना के लिये रू.15287.88 लाख बजट प्रावधान है। माह दिसंबर 2009 अंत तक रू. 8644.38 लाख आवंटन के विरूद्ध रू. 7157.22 लाख व्यय हुये जो कुल आवंटन का 83 प्रतिशत है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रू.10478.88 लाख बजट प्रावधान है। माह दिसंबर 2009 अंत तक रू. 5822.79 आवंटन के विरूद्ध रू. 4464.70 लाख व्यय हुये। जो कुल आवंटन का 76.68 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष में शत प्रतिशत व्यय होने की संभावना है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

प्राकृतिक आपदाओं आदि से फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से भारत सरकार के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में **"राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना"** लागू की गई है। यह योजना रबी वर्ष 1999–2000 से क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों को बीमा राशि दिये जाने का प्रावधान है। प्रदेश में रबी 1999–2000 से खरीफ 2008 तक 37,33473 कृषकों को दावा राशि रू. 9655072023/– का भुगतान किया जा चुका है। रबी 2008–09 के दावों की गणना प्रक्रियाधीन है। योजना के अंतर्गत खरीफ 2006 से पटवारी हल्का इकाई पर धान सिंचिंत, धान असिंचित, सोयाबीन, तुअर फसलों को लिया गया है एवं खरीफ 2007 से बाजरा एवं मक्का को भी पटवारी हल्का में शामिल किया गया है। इसी प्रकार रबी में 2006–07 से गेहॅू सिंचिंत, गेहॅू असिंचित, चना, राई, सरसों फसलों को पटवारी हल्का इकाई स्तर पर लिया गया है इसके अतिरिक्त खरीफ में ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास एवं रबी में अलसी, आलू, प्याज की इकाई तहसील स्तर है।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

जांच समितियॉ/ किये गये अध्ययन

वर्ष 2009–2010 में कोई समिति का गठन नहीं किया गया ।

भाग–पांच

अभिनव योजनायें

कृषि जलवायु क्षेत्र आधारित कृषि विकास योजना

प्रदेश में कृषि विकास को गति देने तथा उपलब्ध संसाधनों से अधिक उत्पादन लेने के लिये कृषि जलवायु क्षेत्रवार योजना तैयार कर क्रियान्वित की गई है। योजना के अंतर्गत प्रमुख रूप से क्षेत्र की अनुकूलताएं एवं विषमताओं का पता लगाकर उनके आधार पर कृषि विकास की गतिविधियॉ संचालित की जा रहीं है। इनमें प्रमुख रूप से उन्नत आदान सामग्री के उपयोग से फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, उन्नत कृषि यंत्र का समुचित उपयोग करना, काश्त क्रियाओं में सुधार लाना, कृषकों के ज्ञान वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण देना, उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादन बढ़ाना और कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों का मूल्य संवर्धन कार्य करना सम्मिलित है।

फार्म प्लान के आधार पर आदान सामग्री का आकलन

फसल मौसम के पूर्व कृषि आदान पखवाड़ा आयोजित कर कृषकवार फार्म प्लान बनाकर आदान सामग्री की मांग का आकलन किया जाता है। इसी आकलन के आधार पर खरीफ/ रबी कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। फार्म प्लान तैयार करने का कार्य एक अभियान रूप में किया जाता रहा है, जिसमें कृषक द्वारा बोई जाने वाली खरीफ/रबी फसल तथा लगने वाली आवश्यक आदान सामग्री की जानकारी मुख्य रूप से संकलित की जाती है।

कृषि प्रक्षेत्र

प्रदेश में 48 शासकीय कृषि प्रक्षेत्र स्थापित है। प्रक्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता का आधार एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन करने के साथ–साथ अनुसंधान केंद्रों से फसलों के नवीनतम किस्मों का प्रजनक बीज प्राप्त कर उससे प्रतिवर्ष लगभग 18000 क्विंटल आधार बीज तैयार कर प्रदेश के कृषकों को उच्च गुणवत्ता के नवीनतम बीज उपलब्ध कराने के साथ–साथ उन्नत कृशि तकनीक का जीवंत प्रदर्शन करवाकर कृषकों को ज्ञान अर्जित कराना एवं प्रदेश के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 30 शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों का उन्नयन किया गया है। जिसमें 16 शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर बीज ग्रेडर संयंत्र स्थापित किये गये हैं तथा पूर्व से ही 14 प्रक्षेत्रों पर बीज ग्रेडर संयंत्र स्थापित हैं। इस तरह कुल 30 बीज ग्रेडर संयंत्र स्थापित हैं जिससे प्रक्षेत्र एवं उसके आसपास के कृषकों को फसल के उत्पादन का ग्रेंडिंग किया जा रहा है।

हैलो ग्राम सभा का प्रसारण

प्रदेश में आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले ग्राम सभा कार्यक्रम को विभाग द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों द्वारा सामयिक विषयों पर चर्चा की जाती है।

''हैलो ग्राम सभा'' के नाम से यह कार्यक्रम साप्ताहिक अवधि में प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7.20 से 8.00 बजे प्रसारित होता है, जिसमें कृषक फोन द्वारा अपने समस्या का तत्काल समाधान उपस्थित कृषि विशेषज्ञों/कृषि अधिकारियों से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से औसतन 20 से 25 प्रश्न प्राप्त होते हैं।

5.5 कृषि नेट (एग्रिसनेट) परियोजना

कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार करने के लिये प्रदेश में भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा शत प्रतिशत केन्द्रांश की केन्द्र क्षेत्रीय परियोजना **"Agricultural Information System Network" (AGRISNET)** क्रियान्वित की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषकों को उत्पादन व्रृद्धि हेतु सेवायें प्रदान करने के लिये एवं नवीन कृषि तकनीक के साथ–साथ विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश मुख्यालय समस्त संभागीय कार्यालयों, समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों, उप संभागीय अनुविभागीय कषि अधिकारी कार्यालयों एवं समसत विकास खंड कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया है। प्रदेश के समसत विकास खंड स्तर पर स्थापित किये गये किसान ज्ञान केंद्रो के माध्यम से कृषकों को निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। परियोजना अंतर्गत विभागीय कर्मचारियों व अन्य **Stake holders** के आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण निरंतर जारी है।

भारत सरकार से वर्ष 2009–10 में परियोजनान्तर्गत राशि रू. 84.85 लाख प्राप्त हुई है । जिससे प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में विस्तार की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नवीन राज्य पोषित योजना " कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी " –

वर्ष 2009–10 से नवीन राज्य पोषित योजना ''कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी '' संपूर्ण प्रदेश में लागू की गई है। इस येाजना के अंतर्गत विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल (**www.mpkrishi.org**) की होस्टिंग रख रखाव आदि कार्य के साथ–साथ प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में स्थापित किये गये हार्डवेयर के रख रखाव हेतु प्रावधान किया गया है। विभाग के पोर्टल एवं एपलीकेशन साफटवेयर के माध्यम से जानकारी के आदान प्रदान के लिये कनेक्टीविटी प्रदाय करने का प्रावधान भी इस योजना के अंतर्गत किया गया है। वर्ष 2009–10 में इस योजना अंतर्गत राशि रू. 92.50 लाख प्रावधानित की गई है।

उर्वरकों की अग्रिम व्यवस्था

प्रदेश के किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सके इस हेतु राज्य सरकार ने म. प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को राशि रू. 64.00 करोड़ अग्रिम रूप में रिवाल्विंग फंड के रूप में तथा राशि रू. 300.00 करोड़ अपेक्स बैंक से ऋण के रूप में उर्वरकों की अग्रिम व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराये हैं। इस रूपये 300 करोड़ पर लगने वाले ब्याज इत्यादि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाकर इस राशि से 4.80 लाख मीट्रिक टन डी. ए. पी., आई. पी. एल. कंपनी के माध्यम से आयात कराकर प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराया गया है।

भाग – छः

विभागीय प्रकाशन

1. विभाग द्वारा इस वर्ष भी कृषि की उन्नत तकनीकों के प्रचार–प्रसार के लिए खरीफ और रबी की प्रमुख फसलों की कार्यमालाओं के साथ विभिन्न प्रकार के पोस्टर, प्रसार पत्रिका, किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं, कृषि दूरभाष दिग्दर्शिका तथा आइसोपाम योजनान्तर्गत तकनीकी पुस्तकों आदि का प्रकाशन किया गया ।
2. विभाग की संभाग / जिला स्तर पर स्थापित मुद्रण इकाईयों द्वारा पाक्षिक पाठ्यक्रम, कृषि साहित्य पत्रक आदि का इस वर्ष भी नियमित प्रकाशन किया गया।
3. राज्य की राष्ट्रीय कृषि से तुलनात्मक स्थिति दर्शाने वाला सांख्यिकी प्रकाशन **''कम्पेडियम''** का महत्वपूर्ण प्रकाशन किया गया।

महिलाओं के लिये किये गये कार्यो का विवरण

1. राज्य की महिला नीति वर्ष 2006–07 के प्रावधानों के अनुरूप विभाग में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने एवं उनके सर्वागीण विकास के लिये संचालनालय स्तर पर माह फरवरी 2005 से **''महिला संसाधन केन्द्र''** की स्थापना की गई है। इस वर्ष से नई महिला नीति 2008–12 लागू की गई है।
2. किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय में पदस्थ श्री आर. एल. हनवत, उप संचालक को महिला अधिकारी को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। प्रत्येक जिले में उप संचालक कार्यालय में पदस्थ एक सहायक संचालक को नोडल अधिकारी पूर्व मे ही नामांकित किया जा चुका है।
3. नई महिला नीति 2008–12 के तहत प्रदेश के महिला कृषक एवं महिला कृषि श्रमिकों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
4. विभाग में कार्यरत महिला अधिकारी/कर्मचारियों के लिये अपनी शिकायत करने हेतु संचालनालय स्तर पर शिकायत पेटी रखी गई है। जिला स्तर पर विकासखंड स्तर पर भी शिकायत पेटी रखने हेतु निर्देश दिये गये हैं। अधीनस्थ कार्यालयों से इस शिकायत पेटी रखने की सूचना प्राप्त हो रही हैं।
5. ''मापवा'' योजनान्तर्गत प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में जेण्डर सवेंदनशीलता विषय को एक पीरियड के रूप में शामिल किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी (मापवा) योजना

11 वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 से कृषि में महिलाओं की भागीदारी (मापवा) योजना संपूर्ण प्रदेश मे लागू की गई है। योजना हेतु वर्ष 2007–08, 2008–09 की भांति वर्ष 2009–10 में भी राशि रू. 100.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसमें से जनवरी 2010 तक राशि रूपये 74.34 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

येाजना का उद्देश्य महिला कृषकों के जीवन यापन स्तर में सुधार कर उसमें स्थायित्व लाना हैं। इस हेतु विभाग के सामान्य विस्तार–तंत्र को प्रशिक्षित कर, महिला कृषकों विशेषकर किसान दीदी को कृषि तकनीकि प्रशिक्षण देने एवं उनको तकनीकी हस्तांतरण करने योग्य बनाना है। येाजना का कार्य जिले में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कर रहे हैं। महिला अधिकारी विशेष रूप से इस योजना में कार्य कर रही हैं।

मापवा येाजनान्तर्गत मासांत जनवरी 2010 तक तकनीकी प्रशिक्षण 552, अनुसरण भ्रमण 1819 स्व सहायता समूह स्टाफ प्रशिक्षण 303, स्व सहायता समूह महिला कृषक प्रशिक्षण 1373, मानव संसाधन प्रशिक्षण 32, विशेष प्रशिक्षण 227, अंतर्जिला अध्ययन भ्रमण (महिला कृषक) 62, आयेाजित किये जा चुके हैं।

सूचना का अधिकार

भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005–दिनांक 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कृषि विभाग में मैनुअल तैयार किया गया है । यह मैनुअल म. प्र. शासन की वेबसाइट तथा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैनुअल के अन्तर्गत विभाग का संरचनात्मक ढांचा, संचालनालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची, उनको प्राप्त होने वाली परिलब्धियॉ एवं उनके द्वारा संपादित किये जाने वाली कार्यों का विवरण दिया गया है। मैनुअल के अन्तर्गत विभाग की समस्त योजनाओं का संक्षिप्त विवरण एवं हितग्राही चयन की प्रक्रिया तथा योजनाओं में दिये जाने वाले अनुदान की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है ।

इसके अतिरिक्त कार्यालय के उपयोग में आने वाले नियम–अधिनियम एवं विभागीय समितियों की जानकारी के साथ सिटीजन चार्टर की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है ।

विभाग के संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय,अनुभाग स्तरीय, एवं विकास खंड स्तर पर कार्यरत कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की जानकारी भी मैनुअल में दी गई है ।

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत कोई भी किसान या आम नागरिक 10/–रूपये का शुल्क अदाकर राज्य स्तरीय/संभाग स्तरीय/जिला स्तरीय/अनुभाग स्तरीय/विकास खंड स्तरीय कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराने की दशा में अपीलीय अधिकारी को अपील की जा सकती है, जिसका शुल्क 50 रू. होगा। इसे नगद या नानजुडिसियल स्टाम्प के रूप में आवेदक को देना होगा। इसके अलावा आम जनता या किसान यदि किसी शासकीय दस्तावेज या अभिलेख का अवलोकन करना चाहता है तो उसे प्रथम घंटे अथवा उससे कम समय के लिये रू.50/– व उसके पश्चात प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके कम समय के लिये रू.25/– के मान से शुल्क नगद या नानजुडिसियल स्टाम्प के रूप में देना होगा। ऐसे आवेदक जो गरीबी रेखा से नीचे हो उन्हें किसी प्रकार का शुल्क जमा नहीं कराना होगा, किन्तु दी जाने वाली जानकारी की प्रतियों पर आने वाला व्यय जमा कराना होगा ।

यदि आवेदक किसी दस्तावेज का प्रमाणित नमूना लेना चाहता है तो नमूने की लागत की वास्तविक राशि, नगद या नानजुडिसियल स्टाम्प के रूप में जमा की जाएगी। ऐसी जानकारी जो कम्प्यूटर में संरक्षित की गई है, उसकी सूचना के लिये फ्लापी, टेप, वीडियो, या कैसेट की वास्तविक लागत आवेदक द्वारा नगद या नानजुडिसियल स्टाम्प के रूप में जमा की जाएगी ।

लोक सूचना अधिकार अधिनियम 05 के तहत वर्ष 2009–10 (दिसंबर 09 तक) तक विभाग में 82 आवेदन प्राप्त हुये, जिनमें से 75 प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया गया है। शेष 7 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

फसल उत्पादन से संबंधित सारांश

फसल उत्पादन (लाख टन)	**2006–07**	**2007–08**	**2008–09**	**2009–10** विभागीय अनुमान
धान (चावल)	13.96	13.32	15.60	12.26
गेहूँ	78.48	67.37	68.34	85.07
ज्वार	5.62	6.00	5.72	4.96
बाजरा	2.54	2.78	2.41	2.16
मक्का	8.54	11.19	11.44	12.37
कुल अनाज	110.90	102.21	105.43	118.61
कुल दलहन	33.51	26.74	36.81	44.57
कुल खाद्यान्न	**144.41**	**128.95**	**142.24**	**163.18**
तिलहन (लाख टन)				
सोयाबीन	47.89	53.68	58.50	58.93
मूंगफली	1.92	1.91	2.28	1.44
राई–सरसों	7.06	5.94	7.37	9.08
अलसी	0.50	0.38	0.48	0.42
कुल तिलहन	**58.51**	**63.32**	**69.78**	**71.40**
गन्ना (गुड़)	2.70	3.28	2.97	1.98
कपास (लाख गाठें)	8.31	8.69	8.56	8.86
बीज वितरण (हजार क्विंटल)				
अनाज	414.72	518.92	584.80	738.81
दलहन	63.23	81.80	121.14	168.75
तिलहन	553.94	548.20	757.54	922.70
कपास	5.19	8.06	4.15	6.77
योग	**1037.88**	**1156.98**	**1467.63**	**1837.03**
उर्वरक वितरण (लाख टन तत्व)				
नत्रजन	7.30	7.96	8.03	8.58 जन. 10
स्फुर	4.10	4.30	5.30	5.74 जन. 10
पोटाश	0.65	0.76	0.90	0.90 जन. 10
योग	**12.05**	**13.02**	**14.23**	**15.22**
बायोफर्टिलाईजर (लाख पैकेट)	38.42	37.29	50.37	49.59
बायोगैस संयंत्र स्थापना (संख्या)	11988	7642	11077	8722
लघु सिंचाई कार्यक्रम				
नलकूप खनन संख्या ST/SC	1585	1463	2063	891 दिसं. 09
लघुत्तम सिंचाई कार्यक्रम				
परकोलेशन टैंक संख्या/सिंचाई तालाब	72	129	56	–
भूमि संरक्षण कार्यक्रम (हेक्टर)				
रा.ज.क्षे.वि.परियोजना	53937	21912	21520	13610
नदी घाटी योजना	16294	19300	14686	16000
बाढ़ उन्मुख योजना	6055	6553	5767	6000
भू जल संवर्धन योजना (परकोलेशन टैंक संख्या)	93	102	266	189